न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –05 / 2020

1. संजय छाबड़ा पुत्र श्री लालचन्द जी छाबड़ा, जाति पंजाबी, आयु बालिग, निवासी छाबडा भवन, हाट चौक रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ।
2. ललित छाबड़ा पुत्र श्री लालचंद जी छाबड़ा, जाति पंजाबी, आयु बालिग, निवासी छाबड़ा भवन, हाट चौक रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,हाल निवासी रंगबाड़ी कोटा, जिला कोटा राजस्थान।
3. श्रीमति लीलावन्ती छाबड़ा पत्नी स्व. श्री लालचंद जी छाबड़ा, पंजाबी, आयु बालिग, निवासी छाबड़ा भवन, हाट चौक रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.................वादीगण

बनाम

रामदेव गुर्जर पिता रायमल गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी एन.टी.सी. गुर्जर बस्ती रावतभाटा, थाना रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.................प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 सी.पी.सी.

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री एच.एन. शर्मा
अप्रार्थीः– श्री पी.के. बिल्लू

निर्णय

दिनांक – 13.11.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय का पेश किया है कि ग्राम झालरबावड़ी, पटवार क्षेत्र बाड़ोलिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में वादीगणों के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी अवस्थित है, जिसकी खसरा संख्या 159, रकबा 1.08 लगान 5.40 रूपये दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी के पूर्व में पड़त सरकारी जमीन, पश्चिम में राजकरण ग्रोवर की आराजी, उत्तर में वादीगणों की क्रेशर भूमि तथा दक्षिण में बैसाखिया नाला है। उपरोक्त आराजी वादीगणों की वंशानुगत है तथा साश्वत रूप से उक्त खसरे पर वादीगणों का कब्जा दिनांक 17.10.1987 से साश्वत रूप से चला आ रहा है। वादीगण उक्त आराजियात के खातेदार है तथा काफी लम्बे समय से इसमें काश्त करते हुए आ रहे है तथा वादीगणों का कब्जा 17.10.1987 से लगाातार चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण का ही कब्जा है एवं वादीगण उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग कृषि के रूप में करते हुए आ रहे है। उक्त आराजीयात वादीगणों के खातेदारी अधिकार की है तथा इस आराजी में अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा शरीक नहीं है तथा उक्त आरा[illegible]ण बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्ण तरीके से करते आ रहे है। प्रति[illegible] रा[illegible] गुर्जर पिता रायमल गुर्जर द्वारा दिनांक 28.01.2014 को [illegible] वादीगणों को खुल्लेआम धमकी दी कि उक्त [illegible] करना वरना मैं तुम्हा[illegible] हाथ–पांव तोड़ दूंगा तथा तुम लोंगों को इस आराजिया[illegible] बेदखल कर दूंगा तथ[illegible] बेदखल करने पर आमदा है तब भी वादीगणों ने अपनी आराजियात का कब्जा नहीं छोड़ा। इस पर प्रतिवादी ने वादीगणों को अवैध धमकियां साक्षीगणों के समक्ष दी एवं वादीगण वाद–पत्र चरण क्रमांक 01 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी रामदेव गुर्जर को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

तथा वादीगणों की आराजियात पर प्रतिवादी का कोई हक शरीक नहीं है तथा प्रतिवादी बल पूर्वक जबरन वादीगणों को उनकी खातेदारी अधिकार की आराजियात से बदेखल करने पर आमदा है। इसके विपरीत वादीगण उक्त आराजियात के खातेदार होकर वर्ष 1987 से शाश्वत रूप से कृषि के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा प्रतिवादी वादीगणों को उपरोक्त वर्णित आराजियात बेदखल कर देते है तो वादीगणों को अपरिमित क्षति होगी जिसका अर्थ में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है तथा मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा इसलिए प्राकृतिक नैसर्गिक साम्य सिद्धांतों के आधार पर वादीगणों को यह हक है कि वह अपनी खातेदारी आराजियात पर प्रतिवादी रामदेव को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद व डिक्री कराना चाहते है कि प्रतिवादी रामेदव वाद–पत्र चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे ना अन्य किसी व्यक्ति से, संस्था से, नौकर से, ठेकेदारों से नहीं करावें तथा वादीगणों को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें तथा वादीगणों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं डाले। इस कदर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब करने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार बिल्लू द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी रामदेव द्वारा जवाब दावा अनुसार वादीगण के वाद पत्र के कथनों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 वादी के खाते में खसरा संख्या 159 रकबा 1.08है0 जमीन होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, वादी ने जिस पडौस के बिच की भूमि अपने कब्जे में होना बताया है, वह स्वीकार नहीं है, चारभुजा व रावतभाटा में वंशानुगत जमीन किसी की नहीं है। वादी ने जिस जगह अपना कब्जा होना बताया है, वह गलत है, वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी के कब्जे में है, जिसके आराजी संख्या 123 है, जो पुर्व में एम.एस. अब्बासी के नाम थी, एम.एस. अब्बासी से विपक्षी ने उक्त जमीन में से आराजी संख्या 123 में 72/103 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है, प्रतिवादी जिस जगह काबिज है,उसके पडौस पूर्व में सरकारी जमीन, पश्चिम में शंशाक सोनी की भूमि, उतर में सडक व दक्षिण में आराजी संख्या 123 का शेष रकबा है। प्रतिवादी ने उक्त जमीन दिनांक 09.09.2013 को श्री एम. एस.अब्बासी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है, रजिस्ट्री के बाद पटवार हल्का ने वादग्रस्त जमीन का इन्तकाल भी मुझ प्रतिवादी (क्रेता) के नाम खोल दिया है,जमीन की रजिस्ट्री पटवार हल्का की रिपोर्ट आने के बाद होती है तथा इन्तकाल भी रजिस्ट्री होने के बाद तथा कब्जा होने पर ही निर्णित होता है। प्रतिवादी अपनी खरीदशुदा जमीन पर काबिज है। वादी का कभी इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा है। वाद की कॉलम संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है, वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी की खरीदशुदा है तथा प्रतिवादी का ही उस जमीन पर कब्जा है तथा प्रतिवादी ने अपनी खरीदशुदा जमीन पर एक तरफ कोट भी बना दी है, वादग्रस्त जमीन पर पूर्व में विक्रेता का कब्जा था तथा उसने भी कोट बना रखी थी, जो [illegible] गयी थी। प्रतिवादी ने अन्त में वादीगण ने धारा 188 रा.टी.ए. के स[illegible] धारा [illegible] सी.पी.सी. में वाद पत्र पेश किया है, धारा 151 सी.पी.सी. [illegible] है, जहां किसी अनुतोष के लिए कानून बना हो, [illegible] के प्रावधान लागू नहीं होते है। वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी के कब्जे में है, कब्जे के [illegible]भाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी ने ग्राम झालरबावडी की आराजी संख्या 123 में विक्रेता एम.एस. अब्बासी का 72/103 हिस्सा दिनांक 09.09.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है, विक्रेता ने गवाहान की मौजूदगी में मुझे कब्जा संभलाया तथा दिनांक 20.09.2013 को जरिये नामान्तरण संख्या 53 से इन्तकाल भी मुझ क्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रतिवादी के नाम खुल चुका है, प्रतिवादी अपनी खरीदशुदा जमीन आराजी संख्या 123 पर ही काबिज है, इसलिए वादी का वाद पत्र सव्यय खारीज फरमाने का निवेदन किया।

प्रकरण में वाद पत्र के आधार पर दो वाद बिन्दू कायम किये गये। साक्ष्य के रूप में वादी लीलावन्ती छाबडा व ललित छाबडा ने अपना स्वयं का शपथपत्र PW-2, PW-3 प्रस्तुत कर बयान कराये तथा साक्ष्य के रूप में राधेकृष्णा शाह पिता स्व. रामगति शाह ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये तथा वादी संजय छाबडा द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा पत्रावली में शामिल दस्तोवजों को प्रदर्श कराया गया। वादी की ओर से गवाह स्वयं संजय छाबडा व ललित छाबडा द्वारा बयान कराये जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी स्वयं रामेदव की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र DW-1 प्रस्तुत कर दस्तावेजों को प्रदर्श कराया गया तथा स्वयं के बयान गवाह कराए गए जिस पर वकील वादी द्वारा जिरह की गई।

हमने वाद पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय राजस्व अजमेर के आदेश दिनांक 05.06.2024 की पालना में पत्रावली की कार्यवाही को रोक जाने हेतु निवेदन कर प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण संख्या 204/2016 मे दी गई डिक्री दिनांक 12.07.2016 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ ने निर्णय दिनांक 28.10.2020 में अपील स्वीकार कर अपीलाण्ट संजय कुमार के पक्ष में सुनाया गया था। न्यायालय के आदेश तत्कालीन की पालना में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील अन्तर्गत धारा 224 रा.का. अधिनियम के तहत अपील पेश की थी जिसके अपील डिक्री टी.ए. संख्या 2011/2023 जिला चितौडगढ आराजी संख्या 152 व आराजी संख्या 159 को ही विवादित मानकर अपील प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2011/2023 में दिनांक 05.06.2024 को राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त आराजी संख्या 152, 159 की राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे उसके पश्चात अपील में सुनवाई की तिथि 01.08.2024, 11.09.2024 तथा 09.10.2024 नियत होकर आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है। उपरोक्त पत्रावली की सुनवाई/बहस की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोका जाना न्यायसंगत है। उक्तानुसार फर्द दस्तावेज प्रस्तुत कर दस्तावेजो का अवलोकन भी न्यायालय को कराया गया। अंत में उक्त प्रकरण की कार्यवाही को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की पालना में कार्यवाही को इसी स्टेज पर रोके जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र क़ा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकरण की सुनवाई पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से कोई स्थगन नहीं है। वादी की आराजी संख्या 152, 159 है तथा प्रतिवादी [illegible] संख्या 123 है। स्वयं वादी संजय छाबडा ने अपने जिरह के दौरान य[illegible]कार किया है कि रामदेव की जमीन अलग है, जो वादी संजय छाबडा [illegible] दूर है। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श कराए [illegible] आराजी संख्या 123, 152 व 159 की स्थिति दर्शायी हुयी है। वादी व प्रतिवादी [illegible] जमीनें आस–पास नहीं है। नक्शा ट्रेस पर वादी की ओर से कोई जिरह नहीं की गयी है। दोनों ही जमीने अलग है। वादी ने गलत रूप से प्रतिवादी के विरूद्ध दावा किया है। वादी का वाद पत्र प्रतिवादी के विरूद्ध खारीज़ किया जाना आवश्यक है। वादी ने प्रकरण को महज़ लम्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

करने के लिए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अंत में वादी का प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं एवं पत्रावली में शामिल दस्तोवजों का अवालोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र की गई बहस पर मनन किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। वादी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से वादी का वादपत्र बाबत ग्राम झालरबावडी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ की आराजी संख्या 159 रकबा 1.08है0 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश अनुसार आराजी संख्या 152, 159 वाद पत्र में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अग्रिम आदेश आने तक कार्यवाही ड्रॉप/पेन्डिग रखी जाती है एवं मूल वाद पत्र/पत्रावली को दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा
जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.20 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested